विज्ञप्ति

निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशु पालन विभाग, उ.प्र., लखनऊ के पत्र संख्या 31/सा.–एक/एक्स–84(120)/बहु.स.प.चि.से./2017–18 दिनांक 19.04.2017 के निर्देशानुसार के अनुपालन में जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय पर सचल पशु चिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु आउट सोर्सिंग/सेवा प्रदाता फर्मों फर्मों के माध्यम से कुशल वाहन चालकों की व्यवस्था की जानी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए निम्न प्रकार निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	पदनाम	वाहन चालकों की आवश्यकता	वाहन चालक हेतु अर्हता
1	वाहन चालक	.12	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो और वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस का धारक हो। ड्राइविंग लाईसेंस कम से कम तीन वर्ष पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिये।

नोटः– वाहन चालकों की संख्या घट–बढ सकती है।

निविदा हेतु प्रमुख शर्तेंः–

1. फर्म/संस्था को प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट, ई.एस.आई. एक्ट, लेबर एक्ट, शाप एण्ड स्टेबलिशमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही फर्म को आयकर एवं सेवाकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. फर्म/संस्था को राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मानव संसाधन हेतु आउट सोर्सिंग एजेंसी के रुप में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। विगत 03 वर्षों में जनपद/विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक वर्ष में प्रगामी न्यूनतम 50 मैनपावर के नियोजन एवं विविध प्रकार के मैनपावर उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिये।
3. फर्म/संस्था का विगत 03 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17) में न्यूनतम कुल टर्नओवर रु. 50.00 लाख प्रतिवर्ष का होना अनिवार्य है।
4. फर्म/संस्था राज्य अथवा देश में ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिये।
5. निविदादाता को मजदूरी एवं अन्य शुल्क यथा सी.टी.सी. के कर, यदि उ.प्र. सरकार के श्रम विभाग के लागू नियम और अन्य संबंधित नियम के अन्तर्गत लागू हो तो उसे वित्तीय बिड के प्रारुप में निविदित करना होगा।
6. वित्तीय बिड में सशर्त बिड मान्य नहीं होगी एवं अतिरिक्त शर्तों की दशा में बिड को निरस्त कर दिया जायेगा।
7. **निविदा प्रपत्र दिनांक 07.06.2017 को अपरान्ह 02:00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा होंगे तथा उसी दिनांक को अपरान्ह 03:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दो भागों में निर्धारित प्रारुपों क्रमशः (अ) तकनीकी बिड एवं (ब) वित्तीय बिड पर आधारित होगी। दोनों बिड अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफों में, एक बडा लिफाफा जिस पर बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र अंकित हो, में रखकर निर्धारित तिथि/समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के लिफाफे में निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की रसीद एवं डाउनलोड करने की दशा में रु. 500/– का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंकड्राफ्ट तथा अर्नेस्ट मनी के रुप में रु. 25000/– का बैंकड्राफ्ट/बैंकर चैक, जो कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अलीगढ़. के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा की शर्तें दिनांक 07.05.2017 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समयावधि में इस कार्यालय में अवलोकित की जा सकती हैं।
8. निविदाओं में प्रतिदिन दिये जाने वाले भुगतान की दर श्रम विभाग द्वारा निर्गत की गई गाइड लाइन के अनुसार रू0 8889.05 तथा उसके सापेक्ष ई0पी0एफ0 13.36 प्रतिशत (रू0 1187.57) ई0एस0आई0 4.75 प्रतिशत (रू0 422.22) तथा सर्विस टैक्स 15 प्रतिशत (रू0 1333.35) की दर से अंकित होने चाहिए।
9. न्यूनतम मजदूरी पर लिया जाने वाला अन्य चार्जेज भिन्न हो सकते है।
10. निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
11. निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी कार्यालय प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद– अलीगढ़।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अलीगढ़।

संख्या 229/लेखा दिनांक 08/05/17

प्रतिलिपि :– सहायक सूचना निदेशक, जनपद अलीगढ़ को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को राजकीय हित में न्यूनतम साईज अपने स्तर से आगामी दिवस के अंकों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि सूचना जनपद की वेवसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभागीय वेवसाईड पर अपलोड कराने की कृपा करें।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़।